



HAPUR POLICE



OPERATION CONVICTION

हापुड़ पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय में प्रभावी, सशक्त पैरवी करते हुए एक अभियुक्त को 03 वर्ष का साधारण कारावास व 5,000/- रु0 के अर्थदण्ड से दंडित कराया गया।

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 महोदय द्वारा चलाये जा रहे “ऑपरेशन कन्विकशन” अभियान के अन्तर्गत आरोपियों को न्यूनतम समय में सजा दिलाए जाने के क्रम में हापुड़ पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन व मॉनीटरिंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुए आज दिनांक 03.02.2025 को मा0 न्यायालय CJM के द्वारा “मारपीट कर घायल करने” के अभियोग में 01 अभियुक्त को दंडित कराया गया है, जिसका विवरण निम्नवत् है-

- दिनांक 07.02.2006 को अभियुक्त इन्तजार पुत्र सत्तार निवासी हिम्मपुर दहपा थाना धौलाना जनपद हापुड़ द्वारा वादी को मारपीट कर घायल कर दिया गया था, जिसके सम्बन्ध में थाना पिलखुवा पर मु0अ0सं0 29A/2006 धारा 324, 325, 504, 506 भादवि पंजीकृत किया गया था तथा दिनांक 30.04.2006 को आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।
- आज दिनांक 03.02.2025 को अभियुक्त उपरोक्त को मा0 न्यायालय द्वारा 03 वर्ष का साधारण कारावास व 5,000/- रु0 के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई।
- अभियोजन विभाग से श्री घनश्याम (एस.पी.ओ.) व विवेचक निरीक्षक श्री राकेश वशिष्ठ एवं पैरोकार म0का0 प्रभावती व कोर्ट मोहरीरि है0का0 कृष्णकांत का विशेष योगदान रहा।





ऑपरेशन कन्विकशन उन्नाव पुलिस



उन्नाव पुलिस एवं अभियोजन की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा०
न्यायालय ACJM IV द्वारा 01 अभियुक्त को जेल में बिताई गयी अवधि व
1000 रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई ।





पुलिस महानिदेशक उ०प्र० महोदय द्वारा चलाये जा रहे “ऑपरेशन कनक्शन” अभियान के तहत उन्नाव पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन व मॉनीटरिंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में आज दिनांक 13.01.2025 को मा० न्यायालय ACJM IV के द्वारा “आर्म्स एक्ट” के अभियोग में 01 अभियुक्त को दंडित किया गया है, जिनका विवरण निम्नवत् है-

- दिनांक 14.02.2003 को अभियुक्तगण राम गोपाल पुत्र अहिलू नि० ग्राम टपरा थाना गंगाघाट जनपद उन्नाव को कब्जे से एक अदद अवैध तमंचा 12 बोर मय दो अदद जिंदा कारतूस बरामद कर गिरफ्तार किया गया था। जिसके संदर्भ में थाना गंगाघाट पर मु०अ०सं० 180/03 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया था। जिसमें दिनांक 07.03.2003 को आरोप पत्र मा० न्यायालय प्रेषित किया गया।
- आज दिनांक 13.01.2025 को अभियुक्त उपरोक्त को जेल में बिताई गयी अवधि व 1,000 रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।
- अभियोजन विभाग से सुश्री पल्लवी भारती, व विवेचक उ०नि० श्री मनोज कुमार सिंह एवं पैरोकार का० योगेश कुमार व कोर्ट मोहर्रि का० मानस मिश्रा का विशेष योगदान रहा।



ऑपरेशन कन्विकशन उन्नाव पुलिस



उन्नाव पुलिस एवं अभियोजन की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय ASJ 12 पॉक्सो एक्ट द्वारा 01 अभियुक्त को 10 वर्ष के सश्रम कारावास व 50 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई ।



पुलिस महानिदेशक उ०प्र० महोदय द्वारा चलाये जा रहे “ऑपरेशन कनक्वशन” अभियान के तहत उन्नाव पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन व मॉनीटरिंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में आज दिनांक 24.12.2024 को मा० न्यायालय ASJ 12 के द्वारा “दुष्कर्म” के अभियोग में 01 अभियुक्त को दंडित किया गया है, जिनका विवरण निम्नवत् है-

- दिनांक 05.09.2015 को अभियुक्त मो० गुलाम अली उर्फ हाफिज पुत्र यार मौहम्मद खाँ निवासी परिजादी गढ़ी थाना पुरवा जनपद उन्नाव द्वारा वादी की नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने के संदर्भ में थाना पुरवा पर मु०अ०सं० 413/2015 धारा 363/366/376 व 3/4 पॉक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया था। जिसमें अभियुक्त गुलाम अली उपरोक्त को दिनांक 09.08.2016 को गिरफ्तार किया गया था। दिनांक 15.08.2016 को आरोप पत्र मा० न्यायालय प्रेषित किया गया।
- आज दिनांक 24.12.2024 अभियुक्त उपरोक्त को 10 वर्ष के सश्रम कारावास व 50 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई।
- अभियोजन विभाग से श्री प्रदीप कुमार श्रीवास्तव (एस.पी.पी.), व विवेचक थानाध्यक्ष श्रीकान्त द्विवेदी एवं पैरोकार का० चन्दन सिंह गिल व कोर्ट मोहरीर हे०का० दिनेश चन्द्र का विशेष योगदान रहा।



दशान उन्नाव पुलिस



उन्नाव पुलिस एवं विशेष लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप
मा10 न्यायालय ASJ 07 द्वारा 01 अभियुक्त को 27 दिन के कारावास व
5,000/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई ।





पुलिस महानिदेशक उ०प्र० महोदय द्वारा चलाये जा रहे “ऑपरेशन कनक्वशन” अभियान के तहत उन्नाव पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन व मॉनीटरिंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में आज दिनांक 19.12.2024 को मा० न्यायालय ASJ 07 के द्वारा “NDPS ACT” के अभियोग में 01 अभियुक्त को दंडित किया गया है, जिनका विवरण निम्नवत् है-

- दिनांक 31.05.2020 को अभियुक्त हिमांशू तिवारी पुत्र संजय तिवारी नि० सर्वोदय नगर थाना गंगाघाट जनपद उन्नाव को 01 किलो 750 ग्राम गांजा बरामद कर गिरफ्तार किया गया था, जिसके सन्दर्भ में थाना गंगाघाट पर मु०अ०सं० 169/20 धारा 08/20 NDPS ACT पंजीकृत किया गया था। जिसमें दिनांक 09.08.2020 को आरोप पत्र मा० न्यायालय प्रेषित किया गया।
- आज दिनांक 19.12.2024 अभियुक्त उपरोक्त को 27 दिन के सश्रम कारावास व 5,000/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।
- अभियोजन विभाग से श्री विनय प्रकाश शुक्ला (एस.पी.पी.), व विवेचक उ०नि० श्री विनोद कुमार एवं पैरोकार का० अमित व कोर्ट मोहिरर का० कृष्णवीर सिंह का विशेष योगदान रहा।



ऑपरेशन कन्विकशन उन्नाव पुलिस



उन्नाव पुलिस एवं विशेष लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप
मा0 न्यायालय ASJ 07 द्वारा 01 अभियुक्त को 01 माह 11 दिन के कारावास
व 5,000/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई ।





पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 महोदय द्वारा चलाये जा रहे “ऑपरेशन कनविक्षन” अभियान के तहत उन्नाव पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन व मॉनीटरिंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में आज दिनांक 19.12.2024 को मा0 न्यायालय ASJ 07 के द्वारा “NDPS ACT” के अभियोग में 01 अभियुक्त को दंडित किया गया है, जिनका विवरण निम्नवत् है-

- दिनांक 21.01.2020 को अभियुक्त हिमांशू तिवारी पुत्र संजय तिवारी नि0 सर्वोदय नगर थाना गंगाघाट जनपद उन्नाव को 01 किलो 400 ग्राम गांजा बरामद कर गिरफ्तार किया गया था, जिसके सन्दर्भ में थाना गंगाघाट पर मु0अ0सं0 16/20 धारा 08/20 NDPS ACT पंजीकृत किया गया था। जिसमें दिनांक 29.03.2020 को आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।
- आज दिनांक 19.12.2024 अभियुक्त उपरोक्त को 01 माह 11 दिन के सश्रम कारावास व 5,000/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।
- अभियोजन विभाग से श्री विनय प्रकाश शुक्ला (एस.पी.पी.), व विवेचक नि0 श्री सतीश कुमार गौतम एवं पैरोकार का0 अमित व कोर्ट मोहिरर का0 कृष्णवीर सिंह का विशेष योगदान रहा।



ऑपरेशन कन्विकशन उन्नाव पुलिस



उन्नाव पुलिस एवं विशेष लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप
मा0 न्यायालय ASJ 07 द्वारा 01 अभियुक्त को 01 माह 10 दिन के कारावास
व 8,000/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई ।





पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 महोदय द्वारा चलाये जा रहे “ऑपरेशन कनक्वशन” अभियान के तहत उन्नाव पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन व मॉनीटरिंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में आज दिनांक 19.12.2024 को मा0 न्यायालय ASJ 07 के द्वारा “NDPS ACT” के अभियोग में 01 अभियुक्त को दंडित किया गया है, जिनका विवरण निम्नवत् है-

- दिनांक 21.09.2019 को अभियुक्त हिमांशू तिवारी पुत्र संजय तिवारी नि0 सर्वोदय नगर थाना गंगाघाट जनपद उन्नाव को 03 किलोग्राम गांजा बरामद कर गिरफ्तार किया गया था, जिसके सन्दर्भ में थाना गंगाघाट पर मु0अ0सं0 626/19 धारा 18/20 NDPS ACT पंजीकृत किया गया था। जिसमें दिनांक 01.03.2020 को आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।
- आज दिनांक 19.12.2024 अभियुक्त उपरोक्त को 01 माह 10 दिन के कारावास व 8,000/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।
- अभियोजन विभाग से श्री विनय प्रकाश शुक्ला (एस.पी.पी.), व विवेचक उ0नि0 श्री दिनेश चंद्र शर्मा एवं पैरोकार का0 अमित व कोर्ट मोहिरर का0 कृष्णवीर सिंह का विशेष योगदान रहा।



ऑपरेशन कन्विकशन उन्नाव पुलिस



उन्नाव पुलिस एवं विशेष लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप
मा10 न्यायालय ASJ 07 द्वारा 01 अभियुक्त को 17 दिन के कारावास व
5,000/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई ।





पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 महोदय द्वारा चलाये जा रहे “ऑपरेशन कनक्वशन” अभियान के तहत उन्नाव पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन व मॉनीटरिंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में आज दिनांक 19.12.2024 को मा0 न्यायालय ASJ 07 के द्वारा “NDPS ACT” के अभियोग में 01 अभियुक्त को दंडित किया गया है, जिनका विवरण निम्नवत् है-

- दिनांक 28.06.2023 को अभियुक्त कैलाश पुत्र गंगाराम नि0 लालपुर थाना सोहरामऊ जनपद उन्नाव को 01 किलो 400 ग्राम गांजा बरामद कर गिरफ्तार किया गया था, जिसके सन्दर्भ में थाना सोहरामऊ पर मु0अ0सं0 94/23 धारा 08/20 NDPS ACT पंजीकृत किया गया था। जिसमें दिनांक 09.07.2023 को आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।
- आज दिनांक 19.12.2024 अभियुक्त उपरोक्त को 17 दिन के कारावास व 5,000/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।
- अभियोजन विभाग से श्री विनय प्रकाश शुक्ला (एस.पी.पी.), व विवेचक उ0नि0 श्री अमर सिंह एवं पैरोकार का0 अनिल कुमार व कोर्ट मोहिरर का0 कृष्णवीर सिंह का विशेष योगदान रहा।

